

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई-चिअ/टी-213/2024/ दिनांक :

--संशोधित आदेश --

निदेशालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2020/2021/40 दिनांक 15.02.2021 के द्वारा डा० तेज श्री शेखावत् चिकित्सा अधिकारी (फिजियोलॉजी) हाल राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय जिला -ब्यावर को उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृत अध्ययन अवकाश को चिकित्सक के आवेदनानुसार निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:-

1. दिनांक 21.07.2020 से 18.02.2021 तक 213 दिवस का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 19.02.2001 से 17.08.2021 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश।
3. दिनांक 18.08.2021 से 30.07.2023 तक 702 दिवस का अध्ययन अवकाश।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 9/4/24

क्रमांक : ई-चिअ/टी-213/2024/ 63

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर।
4. प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय जिला ब्यावर को उनके पत्र क्रमांक 173 दिनांक 10.01.2024 के क्रम में।
5. तेज श्री शेखावत् चिकित्सा अधिकारी (फिजियोलॉजी) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय जिला -ब्यावर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
7. पीजी सीट राजपत्रित संस्थापन अनुभाग मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
6496992

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :05-04-2024 02:49:31